संख्या- 107/1088/84-1-14-सीपी-2/2007टी.सी.

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 29 अक्टूबर, 2014

विषय- जिला फोरमों के सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता फोरम गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, चन्दौली, प्रतापगढ, फिरोजाबाद व मिर्जापुर के अधूरे भवनों के निर्माण को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-537/एस.सी.डी.आर.सी.यू.पी./ब0अनु0/14-15, दिनॉक 19 मई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला उपभोक्ता फोरम गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, चन्दौली, प्रतापगढ फिरोजाबाद व मिर्जापुर के भवन निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग लखनऊ द्वारा पुनरीक्षित लागत संलग्न आगणन के अनुसार क्रमश: रू0 63,39,000/-, रू0 66,63,000/-, रू0 57,89,000/-, रू0 85,18,000/-, रू0 63,48,000/-, तथा रू0 90,20,000/-, आंकलित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अधूरे भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु धनराशि रू0 2,77,57,000/-का प्राविधान है। अत: उक्त अधूरे भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पूर्व धनराशि को समायोजित करते हुए आवश्यक अवशेष धनराशि जिला उपभोक्ता फोरम गौतमबुद्धनगर हेतु, रू0 18,72,000/-, गाजियाबाद हेतु आवश्यक अवशेष धनराशि रू0 21,96,000/-, जिला उपभोक्ता फोरम, चन्दौली हेतु आवश्यक अवशेष धनराशि रू0 16,92,000/-, जिला फोरम, प्रतापगढ हेतु आवश्यक अवशेष धनराशि रू0 48,91,000/- जिला उपभोक्ता फोरम मिर्जापुर हेतु रू0 55,53,000/- तथा जिला उपभोक्ता फोरम फिरोजाबाद हेतु मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत के आधार पर रू0 43,48,000/-, के सापेक्ष रू0 21,39,000/-, कुल 1,83,43,000/-,(एक करोड तिरासी लाख तैतालिस हजार रूपये) मात्र की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त आहरित की जाने वाली धनराशि सुसंगत नियमों एवं जिस मद में स्वीकृत की गई है, के अधीन ही व्यय की जायेगी। उक्त भवन निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से प्रतिमाह शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) निर्माण के समय क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/राज्य आयोग का होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित न करते हुए कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

(4) भविष्य में प्रश्नगत कार्यो हेतु पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा तथा यह कार्य 31 मार्च, 2015 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-08-जिला उपभोक्ता फोरम भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-14-231/2014, दिनांक 22-7-2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-107/1088(1)/84-1-14-तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
9- उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in